हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक : – 14–11–2018

संख्या. 2/10/2018–आर II .– हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 32 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, प्रस्तावना में, ''सदस्यों'' शब्द के स्थान पर, ''महापौर तथा सदस्यों'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 2 में, खण्ड (ज) में ''जिसके सदस्य'' शब्द के स्थान पर ''जिसका महापौर और सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 23 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् : –

''23. मेयर और सदस्यों की अयोग्यताएं .– (1) कोई व्यक्ति निगम का महापौर और सदस्य इस प्रकार चुने जाने के लिए अयोग्य होगा, यदि उसमें धारा 8 में यथा वर्णित अयोग्यताओं में से कोई पाई जाती है।

(2) कोई भी व्यक्ति निगम के महापौर और सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जो अनुसूचित जातियों, पिछ़डे वर्गों अथवा महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, इनमे से किन्ही भी प्रवर्गों का सदस्य नहीं है।''

5. उक्त नियमों में, नियम 24 में,–

(i) उप–नियम (1) में, ''सदस्यता के लिये अपात्र'' शब्दों के स्थान पर ''महापौर या सदस्यता के लिये अपात्र'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ii) उप–नियम (4) में, ''उसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''उसी वार्ड में महापौर और सदस्य के निर्वाचन के लिए चुनाव'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे; तथा

(iii) उप–नियम (4) में, परन्तुक में ''उसी वार्ड के चुनाव के लिए'' शब्दों के स्थान पर ''उसी वार्ड में महापौर या सदस्य के चुनाव के लिए'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 25 में,–

(i) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(1) किसी उम्मीदवार के नामांकन पत्र को तब तक विधिवत् दिया गया नहीं समझा जायेगा, जब तक कि नियम 24 के अधीन उसे देते समय उम्मीदवार द्वारा नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई राशि उपायुक्त के पास नकद जमा नहीं करवा दी जाती अथवा जमा नहीं करवाता, अथवा नामांकन पत्र के साथ यह दर्शाते हुये रसीद संलग्न नहीं करता है कि उक्त राशि खजाने में जमा करवा दी है या उस दिन के बाजार मूल्य के बराबर सरकारी प्रनोट संलग्न नहीं करता :–

सारणी

जमा की जाने वाली राशि			
यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का सदस्य अथवा महिला नहीं है		यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का सदस्य अथवा महिला है	
मेयर	सदस्य	मेयर	सदस्य
₹ 10,000.00	₹ 3,000.00	₹ 5,000.00	₹ 1,500.00

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार द्वारा उसी वार्ड में महापौर और सदस्य के लिये निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र भरे गये हैं, तो इस उपनियम के अधीन उससे एक से अधिक बार राशि जमा करवाने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।''

(ii) ''उप–नियम (4) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''परन्तु यदि किसी उम्मीद्वार द्वारा एक से अधिक वार्डों में महापौर अथवा सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे गये हैं, तो उसकी ओर से या उसके निमित्त जमा करवाई गई राशियों में से एक से अधिक नहीं लौटाई जाएगी तथा शेष राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी।''

7. उक्त नियमों में, नियम 32 में, उप–नियम (1) में ''यदि किसी वार्ड में केवल एक उम्मीदवार है'' शब्दों के स्थान पर ''यदि वार्ड में महापौर अथवा सदस्य के लिए केवल एक उम्मीदवार है'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

8. उक्त नियमों में, नियम 33 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''33. **मतदान करवाया जाना, यदि उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक है .–** यदि किसी वार्ड में महापौर अथवा सदस्य के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो मतदान करवाया जायेगा।''

9. उक्त नियमों में, नियम 34 में ''वार्ड या वार्डों की जिनमें वह उम्मीदवार था, उसमें चुनाव के निर्देश में सभी कार्यवाहियां '' शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''वार्ड या वार्डों में महापौर; या सदस्य के चुनाव के सन्दर्भ में सभी कार्यवाहियां, जिनमें वह उम्मीदवार था'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

10. उक्त नियमों में, नियम 63 में, ''यदि उस वार्ड में कोई भी मतदान करवाना आवश्यक न हो'' शब्दों के स्थान पर, ''यदि महापौर; या सदस्य के लिए उस वार्ड में कोई भी मतदान करवाना आवश्यक न हो'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

11. उक्त नियमों में, नियम 71 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

'' 71. महापौर तथा सदस्यों के पद के लिए राज्यनिष्ठा की शपथ और महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर इत्यादि की पदावधि .– (1) मण्डलीय आयुक्त द्वारा निगम के निर्वाचित महापौर और सदस्यों के नामों की अधिसूचना के तीस दिन की अवधि के भीतर, निर्वाचित महापौर और सदस्यो के सामान्य निवास स्थान पर अड़तालीस घण्टे का नोटिस देते हुए नवगठित निगम की प्रथम बैठक बुलायेगा और अध्यक्षता करेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि उपस्थित महापौर और सदस्यों को राज्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जायेगी।

(2) आयुक्त, निगम के लिए निर्वाचित महापौर तथा सदस्यों के नामों की अधिसूचना के साठ दिन की अवधि के भीतर, महापौर और सदस्यों के सामान्य निवास स्थान पर अड़तालीस घण्टे का नोटिस भेजकर बैठक बुलायेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के चुनाव, आयुक्त की उपस्थिति में महापौर द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली इस बैठक में आयोजित किए जाएं।

(3) मण्डलीय आयुक्त धारा 33 में यथा विहित उपस्थित महापौर और सदस्यों को राजनिष्ठा की शपथ दिलाएगा।

(4) उप–नियम (3) के अधीन बुलाई गई बैठक में महापौर या सदस्य, जो उपस्थित नहीं होता है अथवा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अथवा नामांकित हुये सदस्य को तत्पश्चात् सत्यनिष्ठा की शपथ महापौर द्वारा दिलवाई जायेगी और महापौर के मामले में शपथ सम्बद्ध मण्डलीय आयुक्त द्वारा दिलवाई जायेगी।

(5) महापौर के पद की अवधि पांच वर्ष या उसकी शेष पदावधि तक के लिये होगी।

(6) वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर की पदावधि, पांच वर्ष के लिये या सदस्य के रूप में उसकी शेष पदावधि, जो भी कम हो, तक होगी। वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर निगम के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाएंगे।

(7) निगम में महापौर का पद सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा महिलाओं में से निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा भरे जाऐंगे जो इस रीति में अवधारित की जाएगी कि राज्य में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित महापौर के पदों की संख्या, निगम के ऐसे पदों की कुल संख्या ऐसे समरूप अनुपात में होगी जो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात है :

परन्तु निगमों में महापौर के पदों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण अलग–अलग निगमों में बारी–बारी से होगा, जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, मण्डलीय आयुक्त तथा सम्बद्ध निगमों के आयुक्त से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा अवधारित किया जायेगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये महापौर के पदों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर अवधारित की जायेगी और प्रथमतः अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या वाले विभिन्न शेष निगमों में बारी–बारी से होगी, द्वितीयतः पिछड़े वर्गों की अधिकतम जनसंख्या वाले शेष निगमों से होगी तथा इस तरह उनकी अगली अधिकतम आबादी वाले निगम के पदों की पश्चात्वर्ती अवधि में बारी–बारी से होगी। यदि दो निगमों में जनसंख्या की प्रतिशतता पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में एक समान है, तो आरक्षण उपरोक्त परन्तुक में निर्दिष्ट समिति द्वारा ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा अवधारित किया जाएगा।

12. उक्त नियमों में, नियम 72 में .–

(i) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : –

"वरिष्ठ उप महापौर तथा उप महापौर के चुनाव।"; तथा

(ii) उप–नियम (1) में, "महापौर," शब्द तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा।

13. उक्त नियमों में, नियम 73 में "महापौर," शब्द तथा चिह्न, जहां कहीं भी आएँ, का लोप कर दिया जाएगा।

14. उक्त नियमों में, नियम 75 में .–

(i) उपान्तिक शीर्ष में "महापौर," शब्द तथा चिन्ह का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) उप–नियम (2) में "महापौर," शब्द तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(iii) उप नियम (4) में, परन्तुक में, "महापौर या" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

15. उक्त नियमों में, नियम 78 में .–

(i) उप–नियम (1) में, "सदस्य" शब्द के स्थान पर "महापौर या सदस्य" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे; तथा

(ii) उप–नियम (2) में, "महापौर, या" शब्दों तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा।

16. उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररूप 1, 1ग, 1घ, 2, 2क, 2ख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 तथा 17 के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

प्ररूप–1

[देखिए नियम 24(2)]
नामांकन पत्र

निगम के लिए निर्वाचन

मैं, उम्मीदवार को नगर निगम ———————— के महापौर के चुनाव अथवा नगर निगम ————————की वार्ड संख्या ———————— से सदस्य के चुनाव के रूप मे नामजद करता हूं।

उम्मीदवार का नाम ————————————————————

उसका डाक पता ————————————————————

उपरोक्त उम्मीदवार का नाम नगर निगम ———————— के वार्ड संख्या———————— की मतदाता सूची में क्रम संख्या ———————————— पर दर्ज है।

मेरा नाम ———————— नगर निगम ———————— की वार्ड संख्या की मतदाता सूची ———————— में क्रम संख्या ———————— पर दर्ज है।

तिथि : ———————— (प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

मैं, उपर वर्णित उम्मीदवार, इस नामांकन से सहमत हूं तथा एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं ————————————————

(क) कि मैंने ———————— वर्ष की आयु पूरी कर ली है,

(ख) कि मुझे ———————— पार्टी द्वारा इस चुनाव के लिए खड़ा किया गया है।

(ग) कि जो निशान मैने चुने हैं अधिमान्यता के क्रम से इस प्रकार हैं :–

(i) ————————————

(ii) ———————————— तथा

(iii) ————————————

**मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि मैं ———————— जाति/वर्ग का सदस्य हूं जो ————————राज्य के ———————— (क्षेत्र) से अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है तथा जिसके लिए स्थान इस प्रकार आरक्षित किया गया है।

**मैं यह और घोषणा करती हूं कि मैं एक महिला उम्मीदवार हूं जिसके लिए यह सीट ऐस रूप में आरक्षित की गई है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

————————————

(जो यदि लागू ना हो उसे काट दें)**

मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन

उपर्युक्त घोषणा ———————————— द्वारा सत्यनिष्ठा से मेरे सामने की गई है, उसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ अथवा उसकी पहचान मेरी संतुष्टि के अनुसार की गई है।

स्थान ————————————
तिथि ————————————

सत्यापन प्राधिकारी के पूरे
पदनाम सहित हस्ताक्षर

(रिटरनिंग अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या ————————————

यह नामांकन मुझे मेरे कार्यालय में ———————————————— (तिथि) को समय —————————————— (बजे) दिया गया।

रिटर्निंग अधिकारी

नामांकन पत्र स्वीकार करने या अस्वीकार करने वाले रिटरनिंग अधिकारी का विनिश्चय

मैंने हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के नियम 27 के अनुसार इस नामांकन पत्र की जांच की है तथा निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है :–

————————————————————————————————————

तिथिः ————————————

रिटर्निंग अधिकारी

उम्मीदवार को दिया गया निशान ———————————————— है।

तिथि :————————————

रिटर्निंग अधिकारी

नामांकन पत्र की रसीद तथा संवीक्षा के लिए नोटिस
(नामांकन पत्र देने वाले व्यक्ति को दी जाए)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या ————————————————

नगर निगम ——————— से महापौर के चुनाव अथवा नगर निगम—————————————— की वार्ड संख्या ——————— से सदस्य के चुनाव के लिये उम्मीदवार का नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में ———————————— (बजे) ——————— (दिनांक) को उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा दिया गया। सभी नामांकन पत्रों की संवीक्षा —————————(बजे) ——————— (दिनांक) ——————— (स्थान) पर की जायेगी।

तिथि :————————————

रिटर्निंग अधिकारी

प्ररूप – 1ग

[देखिए नियम 24क]

कृपया अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाएं

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम .....की वार्ड संख्या..... से सदस्य के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र सहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र।

भाग – क

मैं .....**पुत्र/पुत्री/पत्नी .....आयु.....वर्ष, जो.....(पूरा डाक पता दर्शायें) का/की निवासी हूं उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूं:–

(1) मैं .....;.....(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम.....(नगर निगम का नाम), में भाग संख्या .....के क्रम संख्या ....पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन संख्या/ संख्याएं .....है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो).....है।

(4) स्थाई लेखा संख्या (पैन) के ब्यौरे और आयकर विवरणी दायर करने की स्थिति :–

क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी दायर की गई है।	आयकर विवरणी में दर्शाई गई कुल आय (रूपए में)
1	स्वयं			
2	पति या पत्नी			
3	आश्रित–1			
4	आश्रित–2			
5	आश्रित–3			

(5) मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास में दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/का अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:–

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्व लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं :–

(क)	सम्बद्ध पुलिस थाना/ जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे सहित मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याऐं	
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तिथि।	
(घ)	न्यायालय(न्यायालयों) जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई।	
(ड.)	तिथि (तिथियां) जिसके आरोप विरचित किए गए थे।	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही (कार्यवाहियों) किसी सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं।	

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्व लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [उपरोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:–

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तिथि	
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	
(ग)	उपरोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्व पुनरीक्षण (यदि कोई हों) के लिए दायर की गई अपील (अपीलों) /आवेदन (आवेदनों) के ब्यौरे	

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) में आने वाले किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्वदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्वदोष ठहराया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगाः

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्वदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्वदोष ठहराया गया है।	
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तिथि (तिथियां)	
(ख)	अधिरोपित दंड	
(घ)	क्या सिद्वदोष ठहराने के आदेश के विरूद्व कोई अपील दायर की गई थी/है। यदि हां, तो	

	अपील के ब्यौरे और वर्तमान स्थिति।	

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (चल तथा अचल) आदि के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. चल आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणः 1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणः 2. जमा/निवेश की दशा में, क्रम संख्या रकम, जमा की तिथि, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पणः 3. सूचीबद्व कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेचरों का मूल्य स्टाक एक्सचेजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्व कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणः 4. यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (V) में है।

टिप्पणः 5. रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक निवेश के संबंध में प्रथकतया दिए जाने हैं।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	हाथ नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाईटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में राशि					
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में निवेश के ब्यौरे और राशि					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत बीमा पालिसियों में निवेश के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में निवेश और राशि					
(v)	किसी व्यक्ति या हस्ती जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि सम्मिलित हैं, को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा					

	राशि					
(vi)	मोटरयान / वायुयान / याट / पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और राशि)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावों / हित का मूल्य					
(ix)	समग्र कुल मूल्य					

आ. <u>अचल आस्तियों के ब्यौरे :</u>

टिप्पणः 1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणः 2. प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमैंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई सम्पति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित सम्पति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यां (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपति है (हां या नहीं)					

	स्वार्जित संपति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) –अवस्थिति (अवस्थितियां) –सर्वेक्षण संख्या (संख्याए) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश, अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित):– अवस्थिति (अवस्थितियां)–सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) क्षेत्र					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय सम्पत्ति की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					

(v)	अन्य (जैसे संपति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य					

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्योरे नीचे देता हूँ :–

(टिप्पणी: कृप्या बैंक, संस्था, निकाय, हस्ती या व्यष्टियों के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष राशि के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम,					
	ऋण की प्रकृति पूर्वोक्त वर्णित नाम (नामों) से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों/हस्ती को ऋण या देय					
	बकाया राशि, ऋण की प्रकृति कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी देयः सरकारी आवास से सम्बन्धित विभागों को देय					
	जल आपूर्ति से सम्बन्धित विभागों को देय					
	विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित विभाग को देय					
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से सम्बन्धित विभाग को देय					
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हैलीकाप्टर सहित) से सम्बन्धित विभाग को देय					

	आय–कर देय					
	धनकर देय					
	सेवाकर देय					
	नगरपालिका/संपति कर देय					
	विक्रयकर देय					
	कोई अन्य देय					
(iii)	सभी सरकारी देयों का कुल योग					
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां, तो अंतवर्लित राशि और					
	प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।					

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरेः

(क) स्वयं.....

(ख) पति या पत्नी.....

(10) मेरी शैक्षणिक अर्हता नीचे दिए अनुसार हैः–

.....

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठयक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग–ख

(11) भाग–क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्वधरण :

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु.
2.	डाक का पूरा पता	
3.	नगर निगम का नाम	
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों	

	के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपरोक्त मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्वदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), (2) या (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	

7.		..... की स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी दायर की गई है	कुल दर्शाई गई आय
	(क) अभ्यर्थी			
	(ख) पति या पत्नी			
	(ग) आश्रित			

8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)						
	विवरण		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
क.	चल सम्पतियां (कुल मूल्य)						
ख.		अचल सम्पति					
	(i)	स्वार्जित अचल संपति की क्रय कीमत					
	(ii)	क्रय के पश्चात अचल संपति की विकास / संर्निमाण लागत (यदि लागू हो)					
	(iii)	अनुमानित वर्तमान					

		बाजार मूल्य					
		(क) स्वार्जित सम्पति (कुल मूल्य) (ख) विरासती सम्पतियां (कुल मूल्य)					
9.		दायित्व					
	(i)	सरकारी देय (कुल)					
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है						
	(i)	सरकारी देय					
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता– (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठयक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)						

सत्यापन

मैं, उपरोक्त नामित अभिसाक्षी, इसके द्वारा, सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह और भी घोषणा करता हूं कि:

(क) मेरे विरूद्ध उपरोक्त भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लेखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला लंबित नहीं है;

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपरोक्त भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लेखित सम्पति या दायित्व से भिन्न कोई सम्पति नहीं है।

आज .....20.....के.....दिन को .....पर सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

.....

टिप्पणः 1 शपथपत्र नामांकन पत्रों की जांच की तिथि वाले दिन दस बजे से पहले तक दायर किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 2 शपथपत्र पर किसी शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणः 3 सभी खानों को भरा जाना चाहिए और कोई खाना खाली न छोडें। यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो या तो ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता'', जैसी भी स्थिति हो, उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

प्ररूप – 1घ
[देखिए नियम 24क]

नगर निगम..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम .....की वार्ड संख्या..... से सदस्य के चुनाव के लिये रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र तथा प्ररूप 1–ग सहित, अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र/घोषणा।

मैं.....**पुत्र/पुत्री/पत्नी..... आयु.....वर्ष .... (पूरा डाक पता वर्णित करें) का/की निवासी हूं, उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यार्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूं, और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूं:–

(1) मैं.....(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यार्थी हूं/ **एक स्वतंत्र अभ्यार्थी के रूप में लड़ रहा/रही हूं।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम.....(नगर निगम का नाम) मे, भाग संख्या .....में क्रम संख्या.....पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे सम्पर्क टेलीफोन नम्बर.....है/हैं और मेरा ई–मेल आई डी (यदि कोई हो).....है।

(4) मैने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 8 के अधीन दी गई निम्न में से कोई अयोग्यता प्राप्त नहीं की है:–

(i) मैं किसी मामले में सिद्धदोष नहीं किया गया हूँ तथा किसी अपराधिक मामले, जिसमें दस वर्ष से कम का कारावास न हो, से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा मेरे विरूद्ध आरोप नहीं लगाये गये हैं।

(ii) मैं किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के मेरी ओर देय किसी प्रकार के बकायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूं। उक्त संस्था (संस्थाओं) से बेबाकी प्रमाण–पत्र (प्रमाण पत्रों) संलग्न है/हैं।

(iii) मैं बिजली बिलों के बकाया का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूं। सम्बन्धित विद्युत उपयोग से बेबाकी प्रमाण–पत्र संलग्न है।

(iv) मैने किसी मान्यताप्राप्त संस्था/बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास की है।

या

मैनें मिडल कक्षा पास की है (किसी महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उम्मीदवार की दशा में)

या

मैने पांचवी कक्षा पास की है (अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीदवार की दशा में, **महापौर का छोड़कर**)

सम्बन्धित संस्था/बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सही सत्यापित प्रति संलग्न है।

(v) मेरे निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, इसके द्वारा, सत्यापन और घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस शपथ–पत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आज ..... 20.....के .....दिन को.....पर सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पणः 1 शपथपत्र/घोषणा, नामांकन पत्रों की जांच की तिथि को 10:00 बजे तक दायर किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 2 शपथपत्र पर किसी शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणः 3 सभी खाने भरे जाने चाहिएं और कोई खाना खाली न छोडें। यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं करनी है, तो या तो ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता'', जैसी भी स्थिति हो, वर्णित किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 4 शपथपत्र/घोषणा या तो टंकित या सुपाठयरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

प्ररूप – 2
[देखिए नियम 40(2)]

मतदान एजेन्ट की नियुक्ति

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम .....की वार्ड संख्या ..... से सदस्य का चुनाव।

मैं ..... उपर्युक्त निर्वाचन का उम्मीदवार एतद् द्वारा ..... पुत्र/पुत्री..... को मतदान केन्द्र संख्या.....पर/मतदान के लिए निश्चित स्थान ..... पर उपस्थित होने के लिये मतदान एजेन्ट के रूप में नियुक्त करता हूं।

स्थान .....

तिथि ..... उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं इस प्रकार मतदान एजेन्ट के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।

स्थान .....

तिथि ..... मतदान एजेन्ट के हस्ताक्षर

मतदान एजेन्ट की घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएंगे।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मै उपर्युक्त चुनाव में नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 द्वारा वर्जित कोई कार्य नहीं करूंगा।

तिथि .....

मतदान एजेन्ट के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए

तिथि ..... पीठासीन अधिकारी

प्ररूप – 2क
[देखिए नियम 40क]

मतदान एजेन्ट की नियुक्ति

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम ..... की वार्ड संख्या ..... से सदस्य का चुनाव।

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी

.....

.....

.....

मैं..... उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार, इसके द्वारा श्री ..... (नाम तथा पता) को उपरोक्त निर्वाचन में आज से अपने मतदान एजेन्ट के रूप में नियुक्त करता हूं।

स्थान.....

तिथि..... . उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं उपरोक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूं।

स्थान .....

दिनांक ..... मतदान एजेन्ट के हस्ताक्षर

---

* निर्वाचन के समुचित ब्योरे यहां निर्दिष्ट किए जाएं।

प्ररूप – 2ख
[देखिए नियम 40(ख)(2)]

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम .....की वार्ड संख्या ..... से सदस्य का चुनाव ।

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी,

.....

.....

मैं..... उम्मीदवार/**निर्वाचन अभिकर्ता ..... जो उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार है, इसके द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को ..... में मतगणना पर हाजिर रहने के लिए मुझे/उसके **गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं।

गणन अभिकर्ता का नाम	**गणन अभिकर्ता का पता**
1	
2	
3	
4	
5	
6	
इत्यादि	

स्थान .....
तिथि ..... उम्मीदवार/मतदान एजेन्ट के हस्ताक्षर**

हम ऐसे गणन अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं।

1
2
3
4
5
6
इत्यादि

स्थान .....
तिथि ..... गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

गणन अभिकर्ताओं की घोषणा

(रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

हम, इसके द्वारा, घोषणा करते हैं कि उपरोक्त निर्वाचन में, हम हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1964 (1994 का 16) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन निषिद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। जिसे हमने पढ़ लिया है/हमें पढ़ कर सुना दिया गया है।

1.
2.
3.
4.
5.
6.
इत्यादि

स्थान ..... गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तिथि .....

मेरे सामने हस्ताक्षर किये गये

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

---

*निर्वाचन के समुचित ब्योरे निर्दिष्ट किए जायें।

**अनुपयुक्त विकल्प काट दें।

धारा 23.—(1) प्रत्येक अधिकारी अथवा लिपिक, अभिकर्ता अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो किसी चुनाव में मतो की रिकार्डिंग अथवा गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए संगणित कोई सूचना (किसी विधि द्वारा अथवा के अधीन प्राधिकृत कुछ प्रयोजनों के सिवाय) नहीं भेजेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबन्धों की उल्लंघन में जान बूझकर कार्य करता है, तो वह या तो तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए कारावास अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। **।

प्ररूप – 3
[देखिए नियम 47(2)ग]

आक्षेप किए गए नामों की सूची

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम .....की वार्ड संख्या ..... से सदस्य का चुनाव।

मतदान केन्द्र संख्या ..... हस्ताक्षर शीट संख्या .....

प्रविष्टि की क्रम संख्या	मतदाता का नाम	सूची में मतदाता के नाम की क्रम संख्या	आपत्ति किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	आपत्ति किए गए व्यक्ति का पता	पहचानकर्ता यदि कोई हो, का नाम	आपत्तिकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	जमा राशि वापिस प्राप्त करने पर आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

तिथि :.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप – 4
[देखिए नियम 54(2)]

नेत्रहीन तथा अशक्त मतदाताओं की सूची

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम .... की वार्ड संख्या ..... से सदस्य का चुनाव।

मतदान केन्द्र की संख्या/मतदान का स्थान .....

सूची में मतदाता का क्रम संख्या	मतदाता का पूरा नाम	साथी का पूरा नाम	साथी का पता	साथी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

तिथि .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप – 5
[देखिए नियम 56(2)]

निविदत मतों की सूची

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम .....की वार्ड संख्या ..... से सदस्य का चुनाव।

मतदान केन्द्र की संख्या/मतदान का स्थान .....

सूची में मतदाता का क्रम संख्या तथा नाम	मतदाता का पता	निविदत मतपत्र की क्रम संख्या	उस व्यक्ति को जारी किए गए मतपर्ची की क्रम संख्या जिसने पहले मतदान कर रखा है	मत डालने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5

तिथि :.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप – 6
[देखिए नियम–58]

मतपत्र लेखा

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम .... की वार्ड संख्या ..... से सदस्य का चुनाव।

मतदान केन्द्र की संख्या/मतदान का स्थान .....

		क्रम संख्या	कुल संख्या
(1)	प्राप्त हुये मतपत्र	.....	.....
(2)	अप्रयुक्त मतपत्र.....		
	(क) पीठासीन अधिकारी, यदि कोई हो, के हस्ताक्षर से, तथा		.....
	(ख) पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर के बिना।		.....
(3)	मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्र		.....
(4)	रद्द किए गए मतपत्र.....		
	(क) मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए		.....
	(ख) किसी अन्य कारण से		.....
(5)	निविदत मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त मतपत्र		.....
(6)	मतपत्र जो मतपेटी में होने चाहिएं।		.....

तिथि.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप – 7
[देखिए नियम 61(2) तथा 62(4)(ख)]
(मतों की गणना करने के बाद भरा जाएगा)

मतपत्रों की गणना का प्ररूप

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम .....की वार्ड संख्या ..... से सदस्य का चुनाव।

मतदान केन्द्र संख्या.....

गणना की तिथि .....

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	डाले गये वैध मतों की संख्या
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	.....आदि	.....

(ii) रद्द किए गए मतपत्र.....

(iii) कुल संख्या

(iv) क्या ऊपर मद संख्या iii में दर्शाए गये मतपत्रों की संख्या प्ररूप 6 में मद संख्या 6 के सामने दर्शाई गई संख्या से मिलती है या इन दोनों आंकड़ों में कोई विसंगति ध्यान में आ गई है।

तिथि.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप – 8

[देखिएं नियम 63, 70प (2) (ग), 70फ (1) तथा 70(ब)(2)]

गणना किए गए मतपत्रों के समेकन लेखा का प्ररूप

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम ..... की वार्ड संख्या ..... से सदस्य का चुनाव।

मतदान केन्द्र संख्या	मतपेटी (पेटियों) / इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (मशीनों) में पाये गये कुल मत	निविदत मतों की संख्या	उम्मीदवार के वैध मत								कुल वैध मत	अस्वीकृत मतों की संख्या	**मतों के लिए "नोटा" विकल्प**	वैध तथा अस्वीकृति कुल मत
			क	ख	ग	घ	ड़	च	छ	ज				
1														
2														
3														
4														
5														
इत्यादि														
कुल														

स्थान.....

तिथि.....

रिटर्निंग अधिकारी"।

प्ररूप – 9
[देखिए नियम 51क (1)]

रिटर्निंग अधिकारी को सूचना पत्र

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी,

.....निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड संख्या.....

नगर निगम.....

महोदय,

मैं नगर निगम ———————————— के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम ————————————की वार्ड संख्या ———— से सदस्य के चुनाव के लिये अपना मतपत्र डाक द्वारा देना चाहता हूं।

मुझे.....नगर निगम में.....निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड संख्या) के ..... मतदान केन्द्र (संख्या तथा नाम) पर ..... निर्वाचन डयूटी पर तैनात किया गया है। मेरा नाम ..... नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड संख्या) के लिए क्रम संख्या ..... पर प्रविष्ट है।

मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाए :–

———————————————

———————————————

———————————————

भवदीय,

स्थान :

तिथि : (.....)

प्ररूप – 10
[देखिए नियम 70 ढ़ (1)]

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम ..... की वार्ड संख्या ..... से सदस्य का चुनाव।

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी,
वार्ड संख्या .....

श्रीमान जी,

मैं उपरोक्त वार्ड के आगामी निर्वाचन में निजी रूप में अपना मत डालना चाहता हूं। मेरा नाम उपरोक्त वार्ड की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ..... में क्रम संख्या.....पर दर्ज है।

मैं वार्ड संख्या .....के मतदान केन्द्र संख्या .....मतदान केन्द्र का नाम ..... पर निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किया गया हूं।

मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे प्ररूप 12 में मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र मतदान केन्द्र, जहां पर मैं मतदान के दिन मतदान ड्यूटी पर रहूंगा, में मतदान हेतु समर्थ बनाने के लिए जारी किया जाये। यह मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाये :–

_____

_____

_____

भवदीय,

तिथि :.....

(आवेदक का नाम)

प्ररूप – 11
[देखिए नियम 70छ, 70ज(7), 70ड, 70त(1)(च) तथा 70भ(1)(ड़)]

मतदाताओं का रजिस्टर

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम ..... की वार्ड संख्या ..... से सदस्य का चुनाव।

मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम .....

मतदाता सूची की भाग संख्या .....

क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान	टिप्पणी
1			
2			
3			
4			
5 इत्यादि			

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप – 12

[देखिए नियम 70ढ़(1)(क) तथा 70त(1)(ड़)]

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/ पत्नी ..... *वार्ड संख्या..... में निर्वाचक है, उसकी निर्वाचक नामावली संख्या..... है, जोकि उसके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण वह मतदान केन्द्र, जहां वह मत देने का हकदार है, में मत देने में असमर्थ है और इसलिए इसके द्वारा उसे किसी मतदान केन्द्र में, जहां वह मतदान की तिथि को डयूटी पर हो, मत देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

स्थान .....

तिथि .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहर

---

* समुचित ब्योरे दिये जायें।

प्ररूप – 13
[देखिए नियम 70ढ(4)(क) तथा (6) (ख) तथा (ग)]

डाक मतपत्र के प्रयोग के लिये निर्वाचक द्वारा घोषणा

(इस तरफ का प्रयोग केवल तब किया जाना है जब निर्वाचक स्वयं घोषणा पर हस्ताक्षर करता है)

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम .....की वार्ड संख्या ..... से सदस्य का चुनाव।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मै वह निर्वाचक हूं जिसे.....क्रम संख्या वाला डाक मतपत्र उपरोक्त निर्वाचन में जारी किया गया है।

तिथि .....

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पता .....

.....

.....

हस्ताक्षर का सत्यापन

उपरोक्त .....(निर्वाचक) द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप में जानता है/जिसे ..... (पहचानकर्ता) द्वारा मेरी सन्तुष्टि के लिए पहचाना है जो व्यक्तिगत रूप में मुझे जानता है।

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

यदि कोई हो .....

पता .....

.....

तसदीक अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम .....

पता .....

.....

तिथि .....

(इस तरफ का तब प्रयोग किया जाना है जब निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता)

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मै वह निर्वाचक हूं जिसे.....क्रम संख्या वाला डाक मतपत्र उपरोक्त निर्वाचन में जारी किया गया है।

दिनांक .....

निर्वाचक की ओर से तसदीक अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्वाचक का पता .....

.....

प्रमाण पत्र

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि–

1) उपरोक्त नामित निर्वाचक व्यक्तिगत रूप से मुझे जानता है। जिसे ..... (पहचानकर्ता) द्वारा मेरी सन्तुष्टि के लिए पहचाना है जो व्यक्तिगत रूप में मुझे जानता है।

2) मुझे विश्वास है कि निर्वाचक निरक्षर है जो ..... (अशक्तता) से पीड़ित है और अपना मत स्वयं अभिलिखित करने में या अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में असमर्थ है।

3) उसने मुझ से उसकी ओर मतपत्र चिह्नित करने और उपर्युक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने की प्रार्थना की थी।

4) मैंने उसकी उपस्थिति में और उसकी इच्छा के अनुसार उसकी ओर से मतमत्र चिह्नित और घोषणा हस्ताक्षरित की थी।

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

यदि कोई हो .....

पता .....

.....

तसदीक अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम .....

पता .....

.....

तिथि .....

प्ररूप – 14
[देखिए नियम 70ढ(4) (ख) तथा (6) (क)]

लिफाफा "क"

गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम .....

..... की वार्ड संख्या ..... से सदस्य का चुनाव।

डाक मतपत्र

डाक मतपत्र की क्रम संख्या.....

प्ररूप – 15
[देखिए नियम 70ढ 4(ग)]

बड़ा लिफाफा ''ख''

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम ..... की वार्ड संख्या ..... से सदस्य के चुनाव में प्रयोग किया जाये।

लिफाफा ''ख'' **सरकारी बिना टिकट**

प्रत्येक अधिकारी जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है वह अविलम्ब पते पर इसका वितरण सुनिश्चित करेगा। {नियम 51क (4)}

निर्वाचन–अविलम्ब

डाक मतपत्र

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम ..... की वार्ड संख्या ..... से सदस्य .....के चुनाव के लिये।

(गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है)

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी

** .....

.....

.....

भेजने वाले के हस्ताक्षर.....

.....

.....

* रिटर्निंग अधिकारी यहां पर वार्ड के समुचित ब्योरे लिखें।

** रिटर्निंग अधिकारी यहां पर पूरा पता वर्णित करें।

प्ररूप – 16

[देखिए नियम 70ढ (4)(घ) तथा (6)(क) तथा (ग) तथा 70ब(1)]

डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए हिदायतें

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम ..... की वार्ड संख्या ..... से सदस्य का चुनाव।

व्यक्ति जिन के नाम इसके साथ भेजे गये मतपत्र पर मुद्रित हैं वे उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हैं। यदि आप मत देना चाहते हो तो आप नीचे भाग–I में दिये गये निदेशों के अनुसार अपना मत अभिलिखित करेंगे तथा तब भाग– II में विस्तृत हिदायतों का अनुसरण करेंगे।

भाग– I

निर्वाचकों के लिए हिदायतें

1. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है।
2. आपका केवल एक मत है।
3. आपको एक से अधिक उम्मीदवार के लिए मत नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
4. उम्मीदवार जिसको आप अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से चिह्न लगाते हुये मत अभिलिखित करें।
5. चिह्न इस प्रकार लगाया जाएगा जो उम्मीदवार जिसको आप अपना मत दे रहे हैं को स्पष्ट रूप से सूचित करें तथा सन्देह के परे हो। यदि चिह्न इस प्रकार लगया गया है जो उम्मीदवार जिसको आपने अपना मत दिया है को सन्देहपूर्ण बनाता है तो आपका मत अवैध हो जाएगा।
6. चिह्न जो मतपत्र पर आपको पैरा 4 के अनुसार उस पर करने अपेक्षित हैं, के सिवाय अपने हस्ताक्षर ने करें या कोई शब्द न लिखें या कोई चिह्न न लगाएं, हस्ताक्षर या लिखित में कुछ भी ना करें।
7. निर्वाचक प्ररूप–13 में घोषणा पर अपने हस्ताक्षरों का सत्यापन मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से करवाएगा, यदि वह निर्वचान डयूटी पर है तो किसी राजपत्रित अधिकारी से या मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी से जिस में वह निर्वाचन डयूटी पर है।

भाग– II

निर्वाचकों के लिए हिदायतें

(क) आपको मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात मतपत्र को इसके साथ भेजे गये ''क'' चिह्नित छोटे लिफाफे में रखे। लिफाफे को बन्द कर दें और उसे मोहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर दें।

(ख) इसके उपरान्त आप इसके साथ भेजी गई प्ररूप–13 में घोषणा भी मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी जो आपके हस्ताक्षर सत्यापन करने में सक्षम हो (देखिए उपरोक्त हिदायतें 7) की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हैं। घोषणा ऐसे अधिकारी के पास ले जाएं और उसकी आपकी पहचान के बारे में सन्तुष्टि होने के बाद उसकी उपस्थिति में इसे हस्ताक्षर करें। अधिकारी घोषणा पर आपके हस्ताक्षर सत्यापित करेगा तथा आपको लौटाएगा। आपको अपना मतपत्र तसदीक अधिकारी को ना तो दिखाना है और न ही उसे बताना है कि आपने किस प्रकार मत दिया है।

(ग) यदि आप निक्षरता, अन्धेपन या अन्य अशक्तता के कारण उपरोक्त सूचित रीति में स्वयं मतपत्र चिह्नित करने और अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं तो आप मद (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आपकी ओर से आपका मत चिह्नित करने और घोषणा हस्ताक्षरित करने के लिये हकदार हैं। ऐसा अधिकारी आपकी प्रार्थना पर आपकी उपस्थित में और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र को चिह्नित करेगा। वह इस निमित आवश्यक प्रमाणपत्र भी पूरा करेगा।

(घ) आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किए जाने और आपके हस्ताक्षर मद (ख) या मद (ग) के अनुसार अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात प्ररूप–13 में घोषणा, मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाले ''क'' चिह्नित छोटे लिफाफे, ''ख'' चिह्नित बड़े लिफाफे में रखे। बडे लिफाफे को बंद करने के पश्चात उसे डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को भेज दें। आपको चिह्नित लिफाफे पर उपलब्ध स्थान पर पूरे हस्ताक्षर करने हैं। आप द्वारा कोई भी डाक टिकट लगानी आवश्यक नहीं है।

(ङ) आप सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा चुनाव अधिकारी के पास.....** को.....बजे से पूर्व पहुंच जाए।

(च) कृपया यह भी ध्यान रखें कि :–

(i) यदि आप अपनी घोषणा उपरोक्त निर्दिष्ट रीति में अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा ; तथा

(ii) यदि लिफाफा रिटर्निंग अधिकारी के पास.....को.....बजे के पश्चात पहुंचेगा तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी।

---

* निर्वाचन के समुचित ब्योरे अन्तः स्थापित करें।

** यहां मतगणना के प्रारंभ के लिए नियत समय और तिथ विनिर्दिष्ट करें।

प्ररूप – 17

[देखिए नियम 70थ (1), 70 द(1) (ii), 70 प (2) (क) तथा (ख), 70फ (1)]

भाग I – अभिलिखित मतों का लेखा

नगर निगम ..... के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम ..... की वार्ड संख्या ..... से सदस्य का चुनाव।

मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम.....

मतदान केन्द्र पर प्रयोग की गई मतदान मशीन की पहचान संख्या

नियंत्रण यूनिट.....

मतदान यूनिट.....

1. मतदान केन्द्र के नियत निर्वाचकों की कुल संख्या।
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 11) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या।
3. **"उपरोक्त में से कोई नहीं " के लिये मतदाताओं की कुल संख्या ।**
4. नियम 70छ या 70ज के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या।
5. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या।
6. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या पद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा–मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा–मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2–3–4) से मेल करती है या इसमें काई फर्क पाया गया है।
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको निविदत मतपत्र नियम 56 के अधीन जारी किए गए थे।
8. निविदत मतपत्रों की संख्या।

क्रम संख्या

.....से.....तक

(क) प्रयोग के लिए प्राप्त.....

(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए.....

(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए.....

9. कागज की सीलों का लेखा

क्रम संख्या

.....से ..... तक मतदान एजेन्ट के हस्ताक्षर

1. दी गई कागज की सीलों 1.....

की क्रम संख्या ..... से ..... तक 2.....

2. दी गई सीलों की कुल संख्या 3.....

3. प्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या 4. .....

4. रिटर्निंग अधिकारी को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या (मद 3 में से 2 घटाइए) 5. .....

6. .....

7. .....

5. नष्ट हुई कागज की सीलों की क्रम संख्या, यदि कोई है।

तिथि .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान.....

मतदान केन्द्र संख्या.....

भाग II—मतगणना का परिणाम

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	अभिलिखित मतों की संख्या
1		
2		
3		
4		
5		
6		
.....		
कुल		

क्या उपरोक्त दर्शाए गए मतों की कुल संख्या भाग I की मद संख्या 5 के सामने दर्शाए गए मतों की कुल संख्या से मेल करती है या दोनों योगों में कोई विसंगति ध्यान में आई है।

स्थान.....

तिथि .....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ताओं के नाम

पूरे हस्ताक्षर

1
2
3
4
5
6
7
8
.....
.....

रिटर्निंग अधकारी/पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर"।

आनन्द एम. शरन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।